नरसिंह / सरकार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
12.11.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया / अपील subject to limitation दर्ज की जावे / स्थगन प्रा० पत्र पर वकील अपीलांट को सुना / पत्रावली का अवलोकन किया / पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि अपीलाधीन आदेश दि० 17.3.2020 को पारित किया जाकर अप्रार्थी (अपीलांट) की तामील हेतु समन जारी करने के आदेश दिये गये थे परन्तु अप्रार्थी की तामील नहीं कराई गई / इससे अपीलांट अप्रार्थी अपना जवाब पेश करने से वंचित रहा है / साथ ही अंतरिम स्थगन आदेश के रहते वह अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है / कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उसे सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जावे / परन्तु तहत अदालत द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अपीलांट को सुने बिना ही अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया और प्रकरण में तारीख पर तारीख लगाई जा रही है / यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 39 नियम 3(क) CPC में प्रावधान किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र का निस्तारण 30 दिवस (01 माह) में किया जावे / तहत अदालत ने इस प्रावधान की भी पालना नहीं की है / अतः आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना करते हुए धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा० पत्र का निस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत को आदेशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं /	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	अतः आदेश है कि अपील आंशिक स्वीकार कर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो धारा 212 आर० टी० एक्ट के प्रा. पत्र में उभयपक्ष को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि में उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण करें, तब तक अदालत का अपीलाधीन आदेश दि० 17.3.2020 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहत अदालत को भेजी जावे। अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर